जाता है लेकिन इन द्रव्यों के विनिर्माण की प्रक्रिया को पेटेंट किया जा सकता है।

(ग) से (च) जैव-विविधता संबंधी रियो समझौते से पहले, पौध आनुवंषिक स्रोतों को मानव जाति की सर्वसाधारण विरासत माना जाता था जिसे अनुसंधान के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाता था। किन्तु, जैव विविधता के समझौते में, जिसका कि भारत एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, जनन द्रव्य संबंधी सार्वभौमिक अधिकारों को सुस्पष्ट किया गया है। आनुवंशिकी संसाधनों के बर्हिगमन को विनियमित करने के उद्देश्य से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एक विनियामक ढांचा तैयार कर रहा है। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ ए ओ) ने पौधा आनुवंशिक संसाधनों के संबंध में एक आयोग का गठन किया है जो पौध आनुवंशिक संसाधनों के आदान-प्रदान के विनियमन हेतु सदस्य देशों के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय वचन-पत्र तैयार कर रहा है।

Items importable under OGL without actual user condition

703. SHRI PARMESWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as per the current Export-Import Policy, there are many items importable under the Open General Licence (OGL) without Actual User (AU) condition;

(b) if so, whether such items can be imported for Stock and sale;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) if the answer to part 'b' above be in the affirmative, whether internal trading or distribution of such OGL imported items is regulated or restricted by any other Law or Policy of Government; if so, which are those items?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) Under Paragraph 22 of the current EXIM Policy, 1992—97, capital goods, raw materials, intermediates, components, consumables, spares, parts, accessories, instruments and other goods may be imported without any restriction except to the extent such imports are regulated by the negative List of Imports or any other provision of this Policy or any other law for the time being in force. In respect of such items which are freely importable, no other condition, including, actual user condition is imposed under the EXIM Policy.

खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्य

704. **श्रीमती सुषमा स्वराज:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 नवम्बर, 1995 के "बिजनिस स्टैण्डर्ड" में "राव डायरेक्टस फूड कारपोरेशन टू इन्टरवीन इन मार्केट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि गत माहों में देश के विभिन्न अंचलों में खाद्यान्न के मूल्य खुले बाजार में बढ़ गए थे;

(ग) यदि हां, तो किस-किस अंचल में किस-किस खाद्यान्न के मूल्य क्या-क्या थे;

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उन क्षेत्रों में खाद्यान्न की कितनी-कितनी मात्रा किस-किस मूल्य पर बेचने का निर्णय लिया गया है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जुलाई, 1995 और उसके बाद विभिन्न तारीखों को देश में विभिन्न केन्द्रों में गेहूं और चावल के थोक मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है (नीचे देखिए)

(घ) भारतीय खाद्य निगम को 1995-96 के दौरान खुले बाजार में 55 लाख मीटरी टन गेहूं और 15 लाख मीटरी टन चावल बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

नवम्बर, 1995 माह के लिए खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री करने के लिए राज्य/केन्द्र और मूल्यों का ब्यौरा विवरण III और IV पर दिया गया है।